भारत सरकार	**राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	**अतारांकित प्रश्न सं. 2185**

दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

गेहूं और गैर–बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध

2185. **श्री मोहम्मद अली खानः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए गेहूं और गैर–बासमती चावल के पोत लदान पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या भावी कार्यवाही योजना तैयार की गई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा0 सिंधिया)

(क) से (ग) : गैर-वासमती चावल एवं गेहूँ के निर्यात पर काई प्रतिबंध नहीं है । दिनांक 09.09.2011 से ईडीआई पत्तनों से गैर-वासमती चावल एवं गेहूँ दोनों का निर्यात मुक्त है । गैर-वासमती चावल एवं गेहूँ के निर्यात को दिनांक 23.02.2012 से डीजीएफटी के पास पंजीकरण के शर्ताधीन भारत-बंगलादेश और भारत-नेपाल सीमा पर भू-सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) के जरिए भी अनुमति प्रदान की गई है ।

....